


20.12.2024:

—पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया। इसलिए उक्त वादपत्र को आगे नहीं चलाना चाहते। इसलिए इसी स्तर पर वादपत्र विद्वा करवाना चाहते हैं। वादी अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वादी का वाद पत्र मौजूदा सूरत में विद्वा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

